संख्या –ए–1–864 / दस–08–15(1) / 08

प्रेषक,

मनमोहन,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं**

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त(लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2008

विषय : सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत कोटेशन / टेण्डर आमंत्रित करके सामग्री क्रय करने हेतु वित्तीय सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–ए–1–2086 / दस–96–15–(1) 86, दिनांक 14–10–1996 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें रू. 2,500 / –(रू. दो हजार पॉच सौ मात्र) तक की सीमा की सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रय करने तथा निर्माण कार्यो एवं मरम्मत से सम्बंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रू. 15,000 / –(रू. पन्द्रह हजार मात्र)से अधिक मूल्य के सामान टेण्डर आमंत्रित करके क्रय करने की अनिवार्यता प्रदान की गयी थी।

2. वर्तमान में सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या–ए–1–2086 / दस–96–15–(1) 86, दिनांक 14–10–1996 में निर्धारित सीमा को निरस्त करते हुए शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से वित्तीय सीमा में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश दि. 14–10–1996 में निर्धारित वित्तीय सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप अब रू. 20,000 / – / –(रू. बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रय की जा सकेंगी और निर्माण कार्यो एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख मात्र) से अधिक मूल्य की सामग्री के क्रय के लिए लोक निर्माण विभाग के लेखा नियमों के प्रस्तर–360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग–1 के परिशिष्ट 19 के नियम 4 व 9 में संशोधन अलग से जारी किये जायेगें।

भवदीय,

मनमोहन

विशेष सचिव।

संख्या –ए–1–864(1)दस–2008–15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर, 208

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं महालेखाकार (लेखा) द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
3. निदेशक कोषागार उ.प्र., 1018 जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक विभागीय लेखा उ.प्र. न्यू हैदाराबाद लखनऊ।
5. उ.प्र. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

मनमोहन

विशेष सचिव

पत्रांक 1609/वा.नि./विविध/का.आ./08–09 दिनांक 21 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. सेल, गाजियाबाद।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक, केन्द्रीय इकाई/स्थानीय इकाई, संगठित विकास योजना, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।

एन.आर.वर्मा

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक